संख्या-84/2017/2307/33-3-2017-178/2016 टी.सी.

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 28 सितम्बर, 2017**

विषयः- दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2017 ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-82/2017/2286/33-3-2017-178/2016 टी.सी. दिनांक 27 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2017 तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में प्रारूप-2 संलग्न किए जाने का उल्लेख किया गया है, तत्क्रम में कार्यकलाप संबंधी प्रपत्र संलग्नकर भेजा गया है जो उक्त शासनादेश से संबंधित नहीं है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित शासनादेश संख्या-80/2017/ 2171/33-3-2017-178/2016 टी.सी. दिनांक 14 सितम्बर, 2017 की प्रति (संलग्नक-1) एवं 04 पृष्ठों का प्रारूप संलग्नक-2 के रूप में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं संशोधित संलग्नकों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश/ मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ.प्र.।

8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संलग्नक-1

<u>स्वच्छता पखवाड़ा/शीर्ष प्राथमिकता</u>

<u>संख्या- **80/2017/2171 /33-3-2017/178/2016** टी.सी.</u>

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ**0**प्र**0** शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

<u>पंचायतीराज अनुभाग-**3**</u> <u>लखनऊ दिनांक **14** सितम्बर, **2017**</u>

विषय-_ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा -दिनांक **01** अक्टूबर से **15** अक्टूबर, **2017** के आयोजन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शा**0** पत्र सं**0**-जे **11012/40/17/**आई.ई.सी. दिनांक **22** अगस्त, **2017** एवं तद्क्रम में मुख्य सचिव, उ**0**प्र**0** शासन के पत्र सं**0-1470/38-3-17/2017** दिनांक **24** अगस्त, **2017 (**छायाप्रति संलग्न**)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक **01** से **15** अक्टूबर, **2017** में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा मनाते हुए स्वच्छता **(**जल संरक्षण**/**संचयन, शौचालय का उपयोग, सालिड एवं लिक्विड रिसोंस मैनेजमेन्ट, नॉन-बायोडीग्रेडेबिल वेस्ट आदि**)**, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह एवं सघन जन सूचना प्रणाली के उपयोग को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश निर्गत किये गये।

उक्त के क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से भी ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन के सम्बंध में अर्द्ध शा. पत्र सं.-जे.- **11011/ 89/2016** -मीडिया, दिनांक-**4** सितम्बर, **2017** द्वारा ग्राम समुदाय को जागरूक करने, ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग करने, स्वच्छता अभियानों के संचालन एवं विकास के मुद्दों को सम्बोधित करने के निर्देश दिए गए है। पूर्व में भी शासन स्तर से सार्वजनिक स्वच्छता एवं वेक्टर जनित रोगो की रोकथाम

http://shasnadeshup.nic.in

हेतु पत्र सं. **54/2017/1541/33-3-2017-114/2012,** दिनांक: **21** जुलाई**, 2017,** एवं पत्र सं. **61/2017/ 1798/33-3-2017-114/2012,** दिनांक: **14** अगस्त**, 2017** से आदेश निर्गत किए जा चुके है।

उक्तानुसार ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्न गतिविधियों का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाना है**-**

<u>ग्राम सभा का आयोजन-</u>

1. समस्त ग्राम पंचायतों में अभियान अवधि में प्रभात फेरी **(**शिक्षा विभाग के समन्वयन में विद्यालय के बच्चों को शामिल करते हुए**)** एवं बाल सभाओं का आयोजन किया जाना।
2. ग्राम सभा का आयोजन किया जाना जिसमें निम्न मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य किया जाए**:-**
   (क**)** ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को बताते हुए पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष की पहली छमाही में किये गये सभी कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
   (ख**)** ग्राम पंचायत विकास योजना में वर्ष **2017-18** में लिए गए कार्यो को साझा किया जाना एवं आवश्यकतानुसार अनुपूरक कार्ययोजना पर सहमति लिया जाना।
   (ग**)** ओ**.**डी**.**एफ**.** ग्राम**/** ग्राम पंचायतों में ठोस एवं अपशिष्ठ तरल पदार्थो के प्रबंधन की कार्ययोजना को अभियान अवधि में तैयार किया जाए।
3. अभियान अवधि में सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में विशेष सफाई कराते हुए शौचालय मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जाए।
4. स्वच्छ हरित गॉव एवं ग्राम समृद्धि हेतु रोड मैप तैयार किया जाना।
5. शाम को फिल्म शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना।

<u>सफाई अभियान-</u>

1. ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान का संचालन**-**सफाईकर्मियों का रोस्टर बनाकर बन्द नालियों**,** गन्दी गलियों**,** हैण्डपम्पों के चारो ओर**,** अन्य पेयजल स्रोतों के आस**-**पास एवं तालाब के इन्लेट की सफाई कराया जाना।

http://shasnadesh.up.nic.in

2. खराब पड़े हैण्डपंपों के मरम्मत का कार्य**,** कूड़े एवं गोबर के ढेर का निस्तारण।

3. अभियान में स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रा**0)** के उद्देश्य को सम्मिलित करते हुए व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जाए एवं समुदाय को शौचालय उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

4. ग्राम्य स्वास्थ्य**,** स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों में विभिन्न मजरों में स्वच्छता की स्थिति पर चर्चा**,** कूड़े का निस्तारण**,** जल भराव वाले गड्ढ़े एवं नालियों की सफाई**,** शौचालयों की सफाई एवं प्रयोग तथा सामुदायिक सम्पर्क कर जागरूकता फैलाया जाना।

5. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु पीने वाले पानी के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाना। हैण्डपम्पों के चारों ओर सफाई कराना**,** मच्छरों को बढ़नें व पैदा न होने देने हेतु रूके हुए पानी में लार्वा को नष्ट करनें वाली दवा का छिड़काव कराया जाना।

6. वर्ष **2017-18** की कार्ययोजना के अनुरूप अपशिष्ट पदार्थो के सुरक्षित निपटारे**,** कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण**,** घरेलू कूड़े का एकत्रण व सुरक्षित निपटान एवं सोख्ता चैनलों**/**गड्ढों के निर्माण एवं वृक्षारोपण कराया जाना।

7. आबादी की नालियों का पानी तालाब तक या नाले तक पहुॅचाने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित् करना साथ ही पॉलिथिन पर प्रतिबंध के शासन द्वारा निर्गत आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना।

<u>अभियान अवधि का अनुश्रवण एवं दस्तावेजीकरण**-**</u>

1. जनपद में स्थापित वाररूम के माध्यम से ग्राम पंचायत में संचालित अभियान की प्रगति एवं नियुक्त सफाईकर्मी एवं सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित् की जाए।

2. अभियान की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाना।

3. अभियान की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी एवं प्रगति आख्या को आयुक्त ग्राम्य विकास की ई**-**मेल आई**.**डी**. upcrd75@gmail.com** के साथ पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष अभियान हेतु विकासित ई**-**मेल आई**.**डी**. impevent.up@gmail.com** पर भी उपलब्ध कराया जाना।

http://shasnadeshup.nic.in

अत: उक्त के सम्बंध में आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करते हुए ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा का सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित् करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

2- निजि सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ.प्र.।

8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संलग्नक:-2

सर्वेक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के लिए प्रश्नावली

ग्राम पंचायत का नाम					
ब्लॉक		जिला		राज्य	

1. कृपया वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत (जीपी) की बैठकों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं :

राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली जीपी बैठकों की संख्या (सख्या लिखें) :
वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तव में आयोजित जीपी की बैठकों की संख्या (संख्या लिखें) :

2. कृपया वर्ष 2016-17 के दौरान ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों की बैठकों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं :

क्र0सं0	जीपी स्तर पर स्थाई समितियों के नाम	राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली जीपी बैठकों की संख्या	वर्ष **2016-17** के दौरान वास्तव में आयोजित स्थाई समिति की बैठकों की संख्या	लिए गए प्रमुख निर्णय
i				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				
vii				

http://shasnadesh.up.nic.in

3. **ग्राम सभा** :

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की संख्या (संख्या लिखें) :					
वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तव में आयोजित ग्राम सभाओं की संख्या (संख्या लिखें) :					
ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या (संख्या लिखें) :					
तारीख जिस दिन ग्राम सभा आयोजित हुई	ग्राम सभा में उपस्थिति का प्रतिशत	महिलाओं की उपस्थिति का प्रतिशत	की गई चर्चा के मुख्य विषय	क्या ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा हुई थी	क्या हस्ताक्षरित ग्राम सभा का कार्यवृत्त उपलब्ध है

4. वित्तीय ब्यौरा :

निधि का नाम	के दौरान प्राप्त राशि (रू.)		उपयोग की गई निधियां	किए गए 3 मुख्य कार्यकलाप (व्यय की राशि के संबंध में)	क्या इन कार्यकलापों को करने के लिए अन्य निधियों के साथ समायोजन किया गया	क्या भुगतान ऑनलाइन किए गए हैं
	2015-16	2016-17				
एफएफसी				i ii iii	i ii iii	
एसएफसी				i ii iii	i ii iii	
शर्त मुक्त कोई अन्य निधि				i ii iii	i ii iii	

http://shasnadeshup.nic.in

5. **स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा (ओएसआर)**

वर्ष	ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व एकत्रीकरण का अपना स्रोत (ओएसआर)				
	कर राजस्व (उदा. भूमि एवं निर्माण कर/ मकान कर/ प्रॉपर्टी कर इत्यादि)	गैर-कर राजस्व (उदा. उपयोगकर्ता-शुल्क; पंजीकरण शुल्क, किराया इत्यादि)	अन्य (उदा. सहयोग, स्पासर शिप)	कुल सृजित ओएसआर	आय सृजन के तीन मुख्य क्षेत्र
2015-16					
2016-17					

6. **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ब्यौरे**

वर्ष 2016-17 के लिए क्या जीपीडीपी तैयार की गई है	क्या ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत की गई है	स्वीकृत किए गए कार्यों/परियोजनाओं की संख्या	निधियों का स्रोत (एफएफसी, एसएफसी, ओएसआर, अन्य निधि स्रोतों का उल्लेख करें)	कार्यों की संख्या		क्या जीपीडीपी को ऑनलाईन अपलोड किया गया है (हां/नहीं)
				पूरे किए गए	किए जा रहे	

7. **खाते एवं लेखा- परीक्षा**

	वि व. 2014-15 (हां/नहीं)	वि व. 2015-16 (हां/नहीं)	वि व. 2016-17 (हां/नहीं)
क्या ग्राम पंचायत ने अपने वार्षिक खाते तैयार किए हैं			
क्या ग्राम पंचायत ने अपने खाते की लेखा-परीक्षा की है			

http://shasnadesh.up.nic.in

8. **ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशिक्षित कर्मियों का ब्यौरा:**

ग्रा. पं. निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या	वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित ग्रा. पं. निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया *(कोड का प्रयोग करें)	प्रशिक्षण यहां प्राप्त हुआ			
				ग्रा.पं.	ब्लॉक	जिला	राज्य

ग्रा. पं. कर्मियों की कुल संख्या	वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित ग्राम पंचायत कर्मियों की संख्या	के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया *(कोड का प्रयोग करें)	प्रशिक्षण यहां प्राप्त हुआ			
				ग्रा. पं.	ब्लॉक	जिला	राज्य

***कोड :** एसआईआरडी**-1.** पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान**-2,** एनजीओ**-3,** अन्य**-4, (**उल्लिखित करें**)**

9. **एक्सपोजर दौरे :**

एक्सपोजर दौरे कार्यक्रम में भाग लेने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या-

राज्य के भीतर और बाहर दौरों की संख्या :

10. कृपया विगत 3 वर्षों में ग्राम पंचायत की तीन मुख्य उपलब्धियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए :

(i)	
(ii)	
(iii)	

http://shasnadeshup.nic.in